

डिक्री वमुकदमें ईब्तादाई


अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-294 / 2018

1. हरी सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी।
2. निशान सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी।
3. हरदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
-वादीगण

बनाम

1. मुखत्यार सिंह पुत्र जोध सिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी।
2. गुरनाम सिंह पुत्र भाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
3. रणजीत सिंह पुत्र भाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
4. गुरदीप सिंह पुत्र भाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
5. गुरदेव सिंह पुत्र भाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
6. सरजीत सिंह पुत्र भाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
7. हरबन्दा कौर पत्नी भाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
8. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
9. परमजीत कौर पुत्री बहाल सिंह पत्नी काबल सिंह जाति जटसिख निवासी करी वाला तहसील रानियां जिला सिरसा।
10. मन्सा सिंह उर्फ हरबन्दा सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
11. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
12. गुरविन्द्रसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
13. करतारकौर पत्नी मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी।
14. सर्वजीतकौर पुत्री मुखत्यारसिंह पत्नी जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी संसा पट्टी सिरसा हरियाणा।
15. लखविन्द्रकौर पुत्री मुखत्यारसिंह पत्नी सतविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी करीवाला तहसील रानियां जिला सिरसा हरियाणा।
-प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल संजय कुमार शर्मा वकील वादीगण मिन जांमिन मुदई श्री डिक्री दी जाती है कि- वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 वादी सं० 1 हरि सिंह व वादी सं० 2 निशान सिंह ब०हि०व:-चक 23 एनजीसी प०न० 184/264 कि०न० 16, 17/.506 प०न० 183/264 कि०न० 25/.253 प०न० 183/265 कि०न० 8, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24/2.024 प०न० 184/265 कि०न० 2, 3, 10, 11/1.012 प०न० 184/268

कि०न० 21, 22/0.506 प०न० 183/268 कि०न० 25/.253 प०न० 184/265 कि०न० 23/.253 प०न० 184/266 कि०न० 2/.253 प०न० 183/265 कि०न० 9, 10, 11, 20/1.012 प०न० 184/265 कि०न० 12 ता 14, 17 ता 19, 24/ 1.771 है। (ख)–वादी स० 3 हरदेव सिंह :-चक 6 एसआरडब्ल्यू प०न० 197/273 कि०न० 11/.013, 19 ता 22/1.012 प०न० 196/273 कि०न० 11/.139, 15/.025, 16/,18 ता 23/1.771, 25/.253 प०न० 196/274 कि०न० 1/.253 प०न० 197/274 कि०न० 2/.253 प०न० 199/272 कि०न० 14, 15, 18, 19/1.012, प०न० 196/275 कि०न० 21/.253 प०न० 196/276 कि०न० 1, 10/.506 चक 8 जीजीआर प०न० 196/276 कि०न० 11, 20/.506 कुल 3.719 है, उक्त आराजी में वादी स० 3 का नाम गुरदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के स्थान पर गुरदेवसिंह उर्फ हरदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह पढ़ा जावे। (ग)–प्रतिवादी स० 2 गुरनाम सिंह:-चक 6 एसआरडब्ल्यू प०न० 200/272 कि०न० 11/.253, 20/.253, 21/.101 प०न० 200/272 कि०न० 12, 19/.506, 22/.126 प०न० 198/272 कि०न० 8, 9, 12, 13/1.012 प०न० 199/272 कि०न० 12, 13, 16, 17/1.012 है। (घ) प्रतिवादी स० 3 रणजीत सिंह:-चक 13 जीजीआर प०न० 192/274 कि०न० 3/.253, 8/1/.164 प०न० 192/273 कि०न० 22, 23/.506, 20, 21/.506 प०न० 192/274 कि०न० 1, 2/.506 प.न.193/283 कि०न० 1, 2, 22, 23/1.0120 प०न० 192/283 कि०न० 4, 5/0.5060 प०न० 192/282 कि०न० 16/0.2530 है। (च)–प्रतिवादी स० 9 मन्सा सिंह उर्फ हरबन्श सिंह:-चक 8 जीजीआर प०न० 196/276 कि०न० 12, 13, 18, 19/1.012 है। (छ)–हक हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी स० 8 जसविन्द्र सिंह-चक 6 एसआरडब्ल्यू प०न० 196/276 कि०न० 2, 9/0.506 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, व खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी में वादी स० 3 का नाम गुरदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के स्थान पर गुरदेवसिंह उर्फ हरदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह पढ़ा जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक11:9:2018.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....11:9:2018.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
 सहायक फलिवेटर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी